

विधानसभा (तारांकित प्रश्न क्रमांक 549) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी

स.क्र.	क्षेत्र का नाम-लोक निर्माण विभाग (म/स) संभाग सतना	कुल लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति राशि (लाख मे)	दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
1	घुनवारा से बसोदा पहाड़ मार्ग	7.73	1308.48	28.03.2017	<p>1) यह मार्ग 95 प्रतिशत लंबाई वन क्षेत्र में आने के कारण वन भूमि में कार्य करने हेतु अनुमति हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र. 95/10 दिनांक 28.02.2018 एवं पत्र क्र. 102/10 दिनांक 28.03.2018 कलेक्टर जिला सतना की ओर प्रेषित.</p> <p>2) इस कार्यालय के पत्र क्र. 282/4 दिनांक 06.08.2018, वन मण्डल अधिकारी मण्डल जिला सतना, पत्र क्र. 466 दिनांक 05.03.2019 एवं पत्र क्र. 154 दिनांक 26.03.2021, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैहर की ओर प्रेषित.</p> <p>3) इस कार्यालय पत्र क्र. 452/8 दिनांक 08.02.2022, पत्र क्र. 1140 दिनांक 27.05.2022 एवं पत्र क्र. 1906 दिनांक 19.07.2022 को कलेक्टर जिला सतना की ओर प्रेषित.</p> <p>4) इस कार्यालय के पत्र क्र. 399/8 दिनांक 19.01.2022 एवं पत्र क्र. 643/0 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा वनमण्डल जिला सतना की ओर प्रेषित किया गया।</p> <p>5) वन क्षेत्र में अनुमति हेतु वन विभाग के मार्गदर्शन अनुसार दिनांक 24.05.2023 को पर्येश पोर्टल पर ऑन लाइन आवेदन किया गया, जिसका आवेदन क्रमांक FP/MP/ROAD/430570/2023 किया गया।</p> <p>6) कार्यपालन यंत्री का पत्र क्रमांक 783/7 दिनांक 06.02.2023 पत्र क्र. 269/0 दिनांक 25.07.2023, पत्र क्र. 84/7 दिनांक 02.03.2024 एवं पत्र क्र. 418 दिनांक 01.05.2024 द्वारा वन भूमि के बदले राजस्व भूमि की मांग कलेक्टर मैहर/सतना से की गई।</p> <p>7) राजस्व की समतुल्य भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने हेतु लेख किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मैहर जिला मेहर ने अपने पत्र क्र. 189/स्टोनो/2024/ मेहर दिनांक 27.05.2024 के द्वारा वन भूमि के बदले राजस्व भूमि जिसमें जलासाय एवं अतिक्रमण से मुक्त हो भूमि का चिह्निकृत कर एक सप्ताह के अन्दर कलेक्टर जिला पन्ना की ओर लेख किया गया है।</p> <p>8) कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा अपने पत्र क्रमांक 576/प्रवाचक/2024 पन्ना दिनांक 24.07.2024 के द्वारा तहसीलदार, तहसील शाहनगर जिला पन्ना की ओर जलासाय एवं अतिक्रमण से मुक्त हो भूमि का चिह्निकृत कर आर.सी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से निश्चित प्रारूप एक में ऑनलाइन आवेदन कर ऑफलाइन आवेदन सहपत्रों सहित न्यायालय पन्ना में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है।</p> <p>9) इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2409 दिनांक 24.07.2024 पुन इस कार्यालय के पत्र क्र. 3198 दिनांक 23.08.2024 के द्वारा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पन्ना द्वारा वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध करने हेतु लेख किया गया था। जिसे नायब तहसीलदार तहसील शाहनगर जिला पन्ना ने अपने पत्र क्र. 234 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना को राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित किया जाना उपयुक्त है लेख किया गया है।</p> <p>10) अनु.अधि. लो.नि.वि. मैहर को इस कार्यालय के पत्र क्र. 533/8 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा पर्येश पोर्टल में ऑनलाइन प्रकिया पूर्ण कराये जाने हेतु लेख किया गया है।</p> <p>11) वन भूमि के बदले राजस्व भूमि 13.35 हे० के अंतरण हेतु तहसीलदार तहसील शाहनगर, वन विभाग एवं अनु.अधि. लो.नि.वि. मैहर द्वारा दिनांक 29.01.2025 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।</p> <p>12) न्यायालय कलेक्टर जिला पन्ना के आदेश क्र 0185/अ-20(3)/2024-25 दिनांक 25.02.2025 के द्वारा निर्माण में आ रही वन भूमि के बदले म.प्र. शासन वन विभाग (दक्षिण वन मण्डल पन्ना) को म.प्र. नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 प्राक्धानान्तर्गत आवंटित की गई है।</p> <p>13) तहसीलदार वृत्त बिसानी तहसील शाहनगर जिला पन्ना के पत्र क्र. 62 दिनांक 13.05.2025 के द्वारा अमल सुदा अभिलेख खसरा एवं नक्शा की प्रति कलेक्टर पन्ना को प्रेषित किया गया है।</p> <p>14) इस कार्यालय के पत्र क्र. 360/7 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा वन मण्डल सतना की ओर भूमि की उपयुक्तता के संबंध में निरीक्षण कराया जाकर हस्तांतरण की कार्यवाही हेतु लेख किया गया है।</p> <p>15) प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 28.03.2017 को प्राप्त हुई है, वन विभाग से अनुमति अपेक्षित है। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के दिनांक से तीन वर्ष के अन्दर कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति कालातीत हो चुकी है।</p>

[20/2/2026]

विशेष अधिकारी
म.प्र. शासन, वन विभाग, सतना

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग सतना

विधानसभा (तारांकित प्रश्न क्रमांक 549) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी

स.क्र.	कार्य का नाम	कुल लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
1	अमदरा कॉलेज से कल्दा पहाड़ वाया कमटिहा घाट मार्ग	5.46	1023.62	31.03.2023	<p>विभाग द्वारा की गई कार्यवाही</p> <p>6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) यह मार्ग 95 प्रतिशत आने के कारण वन क्षेत्र में अनुमति हेतु वन विभाग के मार्गदर्शन अनुसार दिनांक 02.06.2023 को परिवेश पोर्टल पर ऑन लाइन आवेदन किया गया, जिसका आवेदन क्रमांक FP/MP/ROAD/ 431991/2023 है। 2) पत्र क्रमांक 8012 दिनांक 15.02.2024 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैहर द्वारा वन भूमि के बदले राजस्व भूमि की मांग कलेक्टर महोदय मैहर/ सतना से की गई। 3) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैहर द्वारा जिस भूमि का चयन किया गया किन्तु वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र मुकुन्दपुर ने अपने पत्र क्र. 179 दिनांक 28.02.2024 के द्वारा लेख किया गया है कि जमीन पथरीली होने के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयोगी है। 4) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैहर 893 दिनांक 28.03.2024 के द्वारा कलेक्टर जिला मैहर को लेख किया गया है कि मैहर जिले अंतर्गत राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है। 5) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मैहर जिला मैहर ने अपने पत्र क्र 203 दिनांक 10.06.2024 के द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना की ओर लेख किया गया 6) नायब तहसीलदार तहसील शाहनगर जिला पन्ना ने अपने पत्र क्र. 234 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना को आवंटित किया जाना उपयुक्त है लेख किया गया है। 7) पुनः परिवेश पोर्टल पर ऑन लाइन क्रमांक FP/MP/ROAD/497075/ 2024 दिनांक 18.09.2024 को दर्ज किया जा चुका है एवं आर.सी.एम.एस. पोर्टल में दर्ज करा दिया गया है। 8) दिनांक 12.11.2024 को एस.डी.एम. शाहनगर द्वारा भूमि आवंटन का प्रकरण कलेक्टर पन्ना की ओर प्रेषित किया गया। 9) नायब तहसीलदार तहसील शाहनगर के पत्र क्र. 453 दिनांक 03.01.2025 के द्वारा संयुक्त रूप से राजस्व एवं वन विभाग को स्थल के संबंध में संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.01.2025 निरीक्षण किया गया है। जो अतिक्रमण युक्त भूमि उपलब्ध है स्वीकृत अपेक्षित। 10) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहनगर द्वारा भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव दिनांक 13.01.2025 को कलेक्टर पन्ना की ओर प्रेषित किया गया है। 11) न्यायालय कलेक्टर जिला पन्ना के आदेश क्र 0011/अ-20(6)/2024-25 दिनांक 20.01.2025 के द्वारा निर्माण में आ रही वन भूमि के बदले म.प्र. शासन वन विभाग (दक्षिण वन मण्डल पन्ना) को म. प्र. नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 प्राक्धानान्तर्गत आवंटित की गई है। नायब तहसीलदार वृत्त बिसानी तहसील शाहनगर की ओर उक्त आदेश का अमल कर पालन प्रतिवेदन खसरा नक्शा की प्रति सहित कलेक्टर पन्ना द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया है। 12) इस कार्यालय के पत्र क्र. 4243 दिनांक 03.07.2025 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहनगर पन्ना को आवंटित की गई भूमि के सीमांकन कराये जाने हेतु लेख किया गया है। 13) दिनांक 08.07.2025 को वन विभाग, एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थल पर उपस्थित होकर भूमि का सीमांकन एवं जी.पी.एस. लोकेशन लेकर हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 14) इस कार्यालय के पत्र क्र. 4666 दिनांक 20.07.2025 के द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना को भूमि का सीमांकन पेशवा मीरे पर हस्तांतरण कराये जाने हेतु आग्रह किया गया है। 15) इस कार्यालय के पत्र क्र. 6281 दिनांक 20.09.2025 के द्वारा पुनः संशोधित के.एम.एल. फाईल ऑनलाइन फाईल अपलोड अनुसार दिनांक 25.09.2025 तक स्थल निरीक्षण कराने हेतु वनमण्डलाधिकारी पन्ना/सतना से अनुरोध किया गया है। 16) वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वन मण्डल पन्ना द्वारा पत्र क्र. 4821 पन्ना दिनांक 14.11.2025 से वन परिक्षेत्राधिकारी कल्दा एवं कलेक्टर पन्ना के पत्र क्र. 2059 दिनांक 11.11.2025 द्वारा तहसीलदार शाहनगर को राजस्व भूमि के संयुक्त सीमांकन हेतु लेख किया गया है, तहसीलदार शाहनगर से संपर्क करने पर उनके द्वारा मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) में व्यस्त होने के कारण आगामी दिनांक तक सीमांकन करने हेतु आस्थासन दिया गया है। 17) दिनांक 15.12.2025 को प्रस्तावित भूमि का संयुक्त स्थल निरीक्षण एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकन किया गया, वन विभाग से अनुमति की कार्यवाही प्रगतिशील है। 18) इस कार्यालय के पत्र क्र. 126 दिनांक 08.01.2026 के द्वारा वन मण्डलाधिकारी दक्षिण पन्ना की ओर निर्माण कार्य करने की अनुमति चाही गई है। 19) दिनांक 16.01.2026 को अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग मैहर द्वारा वन मण्डल अधिकारी पन्ना एवं कलेक्टर महोदय पन्ना के कार्यालय में उपस्थित होकर वन भूमि के संबंध में चर्चा करने पर कलेक्टर पन्ना द्वारा अवगत कराया कि पूर्व में आवंटित भूमि को पुनः आवंटन की आवश्यकता नहीं है। 20) वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वन मण्डल पन्ना द्वारा पत्र क्र. 360 पन्ना दिनांक 23.01.2026 के द्वारा वन परिक्षेत्राधिकारी कल्दा को गैर वन भूमि को राजस्व विभाग से अपने अधिपत्य में लेकर धारा 29 में सरक्षित वन घोषित करने हेतु कार्यवाही हेतु लेख किया गया एवं संयुक्त निरीक्षण उपरान्त जानकारी चाही गई है।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग सभाग सतना

विशेष कलेक्टर, अधिकारी
म.प्र. शासन, लोक-निर्माण विभाग

Chap. II, Sect. 19]

[Paras. 2.122 to 2.125]

Use of Savings

2.122. Anticipated or actual savings on sanctioned estimate for a definite project may not, without the permission of the authority sanctioning estimates, be applied to additional work which was not contemplated in the original project or is not contingent on its execution.

2.123. Savings consequent on the abandonment of a substantial section of any project may not be utilised for work on another project without the further sanction of the authority which sanctioned the work.

Note.—For the purpose of this rule, a section of which the estimate cost is 10 per cent of the total sanctioned cost of the project is a substantial section.

Lapse of Sanction

2.124. If the construction of work has not been commenced within three years of its being sanctioned the estimate and plans should be submitted for fresh administrative approval and technical sanction, the rates and the details of the work being revised as necessary.

Alterations in Design During Construction

2.125. No material alteration may be made in designs sanctioned by higher authority without the approval of that authority, or in standard designs, without the approval of the Superintending Engineer. Should any alteration of importance involving